लेखा · योग

जनसेवी संस्थाओं का लेखा अङ्क ८९ - मार्च ०३ (फरवरी - ०४ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

जनसेवी संस्थाओं में लेखा का उद्देश्य १

लाभ-हानि या आय-व्यय १

- लाभ-हानि खाता २
- आय-व्यय खाता २
- अङ्केक्षण प्रतिवेदन २

चिट्ठे का क्या होगा? २

- अव्ययित-कोष ३
- अङ्केक्षण प्रतिवेदन ३
- मान-वर्धन ४

सम्बन्धित लेखा · योग ४

हाल में, जनसेवी संस्थाओं के लेखा तथा सम्बन्धित मानकों में लोगों की रुचि जागी है। इस अङ्क में हम कुछ ऐसे विषयों पर विचार करेंगे जो जनसेवी संस्थाओं[१] के लेखा मानकों के निर्धारण से सम्बन्धित हैं।

जनसेवी संस्थाओं में लेखा का उद्देश्य

जनसेवी संस्थाएँ खाते क्यों रखती हैं? इसके कई कारण हैं:

१. यह जानने के लिए कि वे एक वर्ष में कितना धन प्राप्त तथा व्यय करती हैं। इनसे यह भी पता चलता है कि उनके पास कितना कोष अव्ययित है और उसे कैसे रखा गया है।

२. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोष का उपयोग अथवा व्यय संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ठीक से हुआ है।

३. दाताओं, सरकार तथा जनता को आर्थिक प्रतिवेदन देने के लिए।

व्यवसायिक संस्थाएँ भी ऐसे ही कारणों से खाते रखती हैं। परन्तु यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अन्तर है: वह यह कि, प्रत्येक वर्ष के अन्त में व्यवसाय के स्वामी यह जानना चाहते हैं कि उन्हें कितना लाभ[२] हुआ है। इससे उन्हें यह पता चलता है कि कितना धन वह लाभांश के रूप में निकाल सकते हैं।

यह तत्व जनसेवी संस्थाओं के लिए महत्वहीन है। जनसेवी संस्थाएँ न तो लाभांश घोषित कर सकती हैं तथा न ही 'लाभ' को अपने 'सदस्यों' में बाँट सकती[३] हैं।

लाभ-हानि या आय-व्यय

इन दोनों के वार्षिक आर्थिक विवरण के शीर्षक से भी यह पूर्णतः स्पष्ट है। चिट्ठे[४] को व्यवसायिक सङ्गठन तथा जनसेवी संस्थाओं में भी एक ही नाम से जाना जाता है। परन्तु जब वार्षिक विवरण[५] की बात होती है तो शीर्षक बिलकुल भिन्न होते हैं।

[१] संयुक्त राज्य अमेरिका में इन सङ्गठनों को एन पी ओ या "लाभ-के-लिए-नहीं" सङ्गठन कहते हैं। इससे, उन संस्थाओं को स्वयं को अमेरिका की मुख्य गतिविधि (लाभ कमाना) से अलग पहचान बनाने में सहायता मिलती है।

दूसरी ओर भारत में ऐसी संस्थाओं को एन जी ओ या अशासकीय संस्था कहा जाता है। जैसा कि सर्वविदित है, १९५० से १९९० तक, भारतीय सरकार राष्ट्र और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत थी। ऐसे में जनसेवी संस्थाएँ (एन जी ओ) सरकार के एक विकल्प के रूप में पल्लवित हुईं। एसलिए ये एन जी ओ कहलाईं।

[२] या हानि

[३] उनके स्वयं के संविधान, सामान्य प्रथा तथा विधि द्वारा। जनसेवी संस्थान के सदस्य संस्था के समापन पर भी उसका लाभ या उसकी सम्पत्ति को आपस में नहीं बाँट सकते हैं।

[४] तुलन-पत्र अथवा आँकड़ा

[५] आय सम्बन्धित विवरण

लाभ-हानि खाता

व्यवसायिक सङ्गठन प्रत्येक वर्ष लाभ-हानि खाता तैयार करते हैं। यह खाता उस वर्ष[६] में हुए लाभ या हानि को दर्शाता है। हम पहले देख ही चुके हैं कि व्यवसायी व्यक्ति लाभ और हानि में अधिक रुचि रखते हैं।

आय-व्यय खाता

सम्भवतः इस तर्क का अनुकरण करते हुए जनसेवी संस्थाओं को भी 'आयाधिक्य एवं व्ययाधिक्य' खाता तैयार करना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता है। जनसेवी संस्थाएँ इसके स्थान पर आय-व्यय खाता तैयार करती हैं। क्यों?

बात साधारण सी है : लाभ कमाना या आयाधिक्य उत्पन्न करना जनसेवी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यद्यपि आय-व्यय खाते में आयाधिक्य[७] तथा व्ययाधिक्य भी दिखाया जाता है परन्तु यह मात्र एक उप-उत्पाद की तरह होता है।

इसीलिए अधिकतर जनसेवी संस्थाओं के अधिकारी आपको यह बताने में असमर्थ होंगे कि संस्था को पिछले वर्ष कितना आयाधिक्य या व्ययाधिक्य हुआ था। दूसरी ओर व्यवसायी लोग आपको पिछले कई वर्षों के लाभ[८]/ हानि की राशियों को तुरन्त बता सकने में समर्थ होंगे।

अङ्केक्षण प्रतिवेदन

व्यवसायिक सङ्गठन के अङ्केक्षण प्रतिवेदन भी इस बात पर बल देते हैं। लाभ-हानि खाते पर टिप्पणी देते समय सामान्यतः अङ्केक्षक इस प्रकार लिखते हैं:

> " हमारा मत है कि उल्लेखित...
>
> ii लाभ-हानि खाता ३१-३-२००३ वर्षान्त में वर्ष भर में कम्पनी को हुए लाभ (हानि) को;
>
> सही व उचित रूप से दर्शाता है।"

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जनसेवी संस्थाओं के अङ्केक्षण प्रतिवेदन में किन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या लाभ शब्द के स्थान पर आयाधिक्य शब्द का प्रयोग करना ही पर्याप्त होगा?

सम्भवतः ! परन्तु अधिकतर जनसेवी संस्थाओं के अधिकारी वास्तव में आयाधिक्य के आँकड़े में रुचि नहीं लेते हैं तथा उनके लिए यह कोई महत्व की बात भी नहीं होती है। न ही यह आयकर अधिकारियों या दाताओं के लिए प्रासङ्गिक होती है। अतः प्रतिवेदन में उस विषय की क्यों व्यर्थ चर्चा करें जो कि वास्तव में जनसेवी संस्थाओं के लिए अप्रासङ्गिक[९] है।

अङ्केक्षकों के लिए एक दूसरा विकल्प है कि वह आयाधिक्य के स्थान पर वर्षपर्यन्त आय तथा व्यय राशि पर टिप्पणी करें। इससे जनसेवी संस्थाओं का अङ्केक्षण प्रतिवेदन निम्नरूपेण दिखेगाः

> "... हमारा मत है कि उल्लेखित...
>
> ii आय-व्यय खाता ३१-३-२००३ वर्षान्त में वर्ष भर में संस्था के आय तथा व्यय को;
>
> सही व उचित रूप से दर्शाता है।"

चिट्ठे का क्या होगा?

वर्तमान में व्यवसायिक तथा जनसेवी संस्थाओं के चिट्ठे में कोई विशेष अन्तर नहीं है। ऐसे में सम्भवतः इनके लिए एक जैसी शब्दावली ही उपयुक्त है।

---

[६] सम्भवतः लाभ-हानि खाते को 'लाभ या हानि खाता' कहा जाना चाहिए।

[७] वास्तव में इसे आय की अधिकता कहना चाहिए (जो व्यय होने से बच गई)। सुविधा के लिए हम इसे "आयाधिक्य" कहते हैं। प्रचलित शीर्षक (आय-व्यय खाता) पुनः इस तर्क पर जोर देता है कि जनसेवी संस्थाएँ आयाधिक्य में रुचि नहीं रखती हैं।

[८] व्यवसायिक लोगों के पास न केवल लाभ का ही आँकड़ा, अपितु इस समूह के सभी तरह के आँकड़े होते हैं, जैसेः सकल लाभ, शुद्ध लाभ, रोकड़ लाभ, ब्याज तथा कर देने से पहले लाभ, प्रत्येक अंश का लाभ, लाभ का प्रतिशत, रेखाचित्र (ग्राफ), सारणी, ... इससे उनके लाभ-प्रेमी होने का स्पष्ट बोध होता है।

[९] वास्तव में, लाभ कमाना जनसेवी संस्थाओं के लिए इतना अप्रासङ्गिक है कि अधिकतर संस्थाएँ स्वयं को 'लाभ-के-लिए-नहीं-सङ्गठन' (एन पी ओ) कहलाना श्रेयस्कर समझती हैं।

अव्ययित-कोष

जनसेवी संस्थाओं के चिट्ठे में एक महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान रहता हैः विशिष्ट कोष (इयर मार्क्ड फण्ड)[१०]।

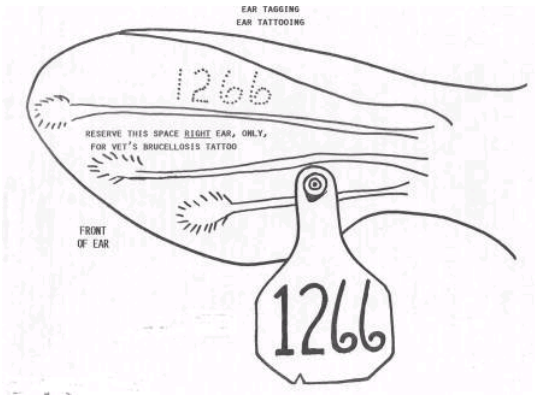

ऐसा कोष किसी विशेष परियोजना या किसी विशेष क्षेत्र[११] में व्यय करने के लिए अलग रखा जाता है। इन कोषों को चिट्ठे में दायित्व की ओर दिखाया जाता है।

३१-३-०३ का चिट्ठा

दायित्व	रुपये (हजारों में)	सम्पत्ति	रुपये (हजारों में)
सामान्य निधि	१००	भवन	७०
भूकम्प निधि	२००	निधि निवेश	७००
शिक्षा निधि	५००	अन्य सम्पत्ति	२५
अन्य दायित्व	१०	रोकड़ व बैङ्क	१५
योग	८१०	योग	८१०

जैसा कि ऊपर चिट्ठे में दिखाया गया है। भूकम्प-निधि तथा शिक्षा-निधि विशिष्ट निधियाँ हैं। भूकम्प-निधि का प्रयोग भूकम्प राहत या पुनर्वास के लिए किया जाएगा। इसी तरह से, शिक्षा निधि का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाएगा।

भूकम्प या शिक्षा शब्दों का प्रयोग शीर्षक को छोटा रखने के लिए किया गया है। इन निधियों का गठन संस्था द्वारा स्वयं हो सकता है। ऐसी स्थिति में, शासी-निकाय के सङ्कल्प में इन निधियों के उपयोग के बारे में निर्देश होने चाहिए।

दूसरी ओर, इसका गठन एक या अधिक दाताओं द्वारा दिये गये अनुदान की राशी से भी हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में, दातव्य संस्थाओं के साथ किये गये अनुबन्ध-पत्र में इस निधि के प्रयोग से सम्बन्धित जानकारी दी हुई होती है।

विशिष्ट-निधि को चिट्ठे में सम्बन्धित सम्पत्ति के साथ दिखाया जाना चाहिए। यहाँ पर देखें कि ७००,००० रुपयों का निधि-निवेश सम्पत्ति की ओर दिखाया गया है। इस निधि निवेश का मूल्याँकन दोनों निधियों (भूकम्प-निधि तथा शिक्षा-निधि) की संयुक्त राशि के बराबर है।

अङ्केक्षण प्रतिवेदन

कभी-कभी उपयुक्त सन्तुलन नहीं बन पाता तथा निवेश[१२] का प्रयोग अन्य कार्यों[१३] के लिए हो जाता है। सामान्य अङ्केक्षण प्रतिवेदन इसे उजागर नहीं कर पाता है।

अतः अङ्केक्षकों को अङ्केक्षण प्रतिवेदन को सुधारने के विषय में सोचना चाहिए। इसमें सम्भवतः नीचे दिया उदाहरण सहायक सिद्ध हो :

---

[१०] "इयर मार्क्ड" का शाब्दिक अर्थ है : कान पर चिन्ह वाला । इस शब्द का आर्थिक आशय से प्रयोग पहली बार ११ वीं शताब्दी में हुआ था। इसका अर्थ है : 'किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए सुरक्षित कोष'

यह अवधारणा एक प्राचीन प्रथा से आयी है। इसके अनुसार मवेशियों का स्वामित्व दर्शाने के लिए उनके कान में छेद कर के उसमें एक धातु का बिल्ला लटका दिया जाता है। पशु-पालन का वाणिज्यीकरण होने के साथ-साथ यह क्रूर पद्धिति अब भारत में भी पैठ रही है।

कुछ देशों में यह प्रथा मनुष्यों के लिए भी होती थी। पवित्र बाइबिल के अनुसार (निर्गमन ग्रन्थ-२१) यदि कोई हिब्रु सेवक छः वर्ष के पश्चात् भी स्वामी को छोड़ कर नहीं जाना चाहे तो उसका इज्रायली "स्वामी उसे न्यायाधीश के पास तक ले जाएगा; वह उसे दरवाजे तक ले जाएगा या चौखट तक ले जाएगा; और स्वामी उसके कान में सुए से छेद करेगा; तथा वह सदा उसकी सेवा करता रहेगा।"

[११] विशिष्ट-निधि को दो भागों में बाँटा जा सकता हैः १. चिन्हित-निधि (जिस निधि को जनसेवी संस्था के प्रबन्ध निकाय द्वारा अन्य निधियों से अलग किया गया हो) २. बाधित-निधि (दाताओं द्वारा बाधित किया हुआ)। चिन्हित-निधि तथा बाधित-निधि के और अन्तर जानने के लिए देखें: "टैक्निकल गाइड ऑन एकाउण्टिङ्ग एण्ड ऑडिटिङ्ग इन नॉट-फॉर-प्रोफिट ऑरग्नाईज़ेशंस" आईसीएआई, २००३

[१२] विशिष्ट निधियों के लिये किया हुआ निवेश।

[१३] निवेश के मूल्याँकन में गिरावट द्वारा हुई हानि से भी निधियाँ प्रभावित होती हैं।

"... हमारा मत है कि उल्लेखित -

i. चिट्ठा, ३१-३-२००३ वर्षान्त को संस्था की आर्थिक स्थिति, निधि-कोषों तथा उनसे सम्बन्धित सम्पत्ति को;

...सही व उचित रूप से दर्शाता है।"

मान-वर्धन

ऐसी प्रतिवेदन विधि जनसेवी संस्थाओं के अङ्केक्षण की गुणवत्ता में और वृद्धि कर सकती है।

प्रथमतः यह जनसेवी संस्थाओं को अपनी चिन्हित एवं बाधित निधियों का प्रबन्धन अधिक सावधानी से करने में सहायक सिद्ध होगा। इससे जनसेवी संस्थाएँ पृथक निधि बनाने, उनके मूल्याङ्कन करने तथा इससे सम्बन्धित आय व व्यय[१४] का अनुवीक्षण करने में सक्षम हो जाएँगी। यह उन्हें लम्बी अवधि के प्रकल्पों की योजना बनाने में तथा इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक साधनों को जुटाने में सहायक होगी।

द्वितीयतः इससे दातव्य संस्थाएँ आश्वस्त होंगी कि उनकी अनुदान राशि का पृथक हिसाब रखा गया है। यह दातव्य संस्थाओं को भी प्रोत्साहित करेगा कि वह लम्बी अवधि की परियोजनाओं के लिए अनुदान दें, विशेषतः जब जनसेवी संस्थाओं की अनुदान / निधि-लेखाङ्कन पद्धति सुदृढ़ हो चुकी है।

सम्बन्धित लेखा·योग

६ : भारतीय लेखा के मानक

७ : आपकी लेखा नीतियाँ

३६ : तुलन पत्र / चिट्ठा

३८: आय एवं व्यय खाता

३९ : जनसेवी संस्थाओं के अङ्केक्षक

५९: सामान्यतः उलझन वाले विचारार्थ विषय

[१४] आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा-३५एसी के द्वारा अनुमोदित "दान/कोष उद्ग्रहण" एक अच्छा उदाहरण है। लेखाङ्कन के नियमानुसार, इसके लिए अनुमोदित संस्था को ऐसे कोष की सकल आय, व्यय व अव्ययित-कोष (निधि) का निरन्तर लेखा-जोखा रखना चाहिए। ऐसा, एक निधि का गठन कर के (जिसे हम "क ख ग परियोजना निधि (३५एसी)" कह सकते हैं) आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए निधि-लेखाङ्कन पद्धति का अनुकरण भी किया जा सकता है।

लेखा·योग की हिन्दी कैसी हो - इस विषय पर गहन सोच-विचार के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक सम्भव हो शुद्ध भाषा और वर्तनी (स्पैलिङ्ग) का प्रयोग किया जाये। अर्थात् अन्य भाषाओं से लिये शब्दों का प्रयोग कम-से-कम हो। हमारा मानना है कि इससे हमारी और पाठकों की भाषा-क्षमता का विकास होगा। इस सिद्धान्त को न मानने से आँग्ल (अँग्रेजी) भाषा की जो दुर्दशा हुई है वह सबको विदित है। आँग्ल भाषा में आलस्यवश (अथवा अज्ञानवश) अन्य भाषाओं से शब्द सीधे आयात कर लिये गये। इससे आँग्ल शब्दों की गणना में विस्तार तो हुआ परन्तु उनके अर्थ, उच्चारण और वर्तनी की जटिलतायें बढ़ती गयीं। इनको सुलझाने में रोमन लिपि के सीमित वर्णाक्षर (२६) सर्वथा असमर्थ रहे हैं। इसीलिये आँग्ल भाषा के लिये बड़े-बड़े शब्द-कोश बनाने पड़े हैं। सौभाग्य से हिन्दी अभी तक इन दोषों से सामान्यतः मुक्त रही है। आशा है कि हमारा यह क्षुद्र प्रयास हिन्दी की गरिमा बनाये रखने में किञ्चित् सहायक होगा।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग १७०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is also available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

लेखा·योग सम्पुटिका - जनसेवी संस्थानों के लेखा तथा इससे सम्बन्धित छोटी-छोटी जानकारियाँ आँग्ल भाषा में प्राप्त करने के लिए कृपया इस पते पर ई-प्रेष करें।

accountaid-subscribe@topica.com.

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष/प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष - accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com

© AccountAid™ India राष्ट्रीय शक संवत् फाल्गुन १९२५; फरवरी २००४ ईस्वी।